यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी के अवधि 05/2015 से 10/2018 तक के लेखा-अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.11.2018 से 03.12.2018 तक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अपर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सतेन्द्र कुमार,लेखापरीक्षा, श्री राकेश रंजन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सुश्री मानसी जैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.05.2016 से 27.05.2016 तक श्री हनुमान सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग का भौगलिक अधिकार क्षेत्र जनपद रुद्रप्रयाग मे संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान तथा जनपद रुद्रप्रयाग मे शिक्षा संबंधी कार्यों का समन्वय एवं क्रियान्वयन किया जाता है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग का समस्त क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) (समर्पण)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	1200.53	1152.45	-	-	48.07	-
2016-17	-	-	1674.19	1657.46	-	-	16.73	-
2017-18	-	-	1286.57	1283.43	-	-	03.14	-
2018-19 (माह Oct. 2018) तक	-	-	930.20	813.33	-	-	116.86 शेष	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)
2015-16	शून्य					
2016-17						
2017-18						
2018-19 (माह Oct. 2018)						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग मे संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को वेतन एवं भत्तों अनुदान के रूप मे किया जाता है। इकाई (स) श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

महानिदेशक , विद्यालयी शिक्षा

↓

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

↓

अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत जिले में संचालित समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय आते है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1: रोकड़ बही मे धनराशि ₹ 51.23 करोड़ की प्रवृष्टियों का दर्ज न किया जाना

As per Central Government (Receipt & Payment) Rules, 1983, Rule No. 13 General instruction of handling cash:-

(i) Every such officers (referred to in this rule as the Head of the office) should maintain a cash book in Form GAR 3
(ii) All monetary transaction should be entered in cash book as soon as they occur and attested by the Head of the office in token of check.

कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा की अवधि के अनिस्तारित प्रस्तरों की जाँच में पाया गया कि ₹ 3.63 करोड़ की धनराशि की प्रविष्टियां रोकड़ बही मे नहीं दर्शायी गयी थी तथा वर्तमान की लेखापरीक्षा के दौरान मे भी जांच मे पाया गया की अवधि माह 05/2015 से 10/2018 तक भी कार्यालय द्वारा जनपद में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक/संस्कृत विद्यालयों को वेतन एवं अन्य भत्ते अनुदान के रूप में ₹ 47.60 करोड़ का व्यय किया गया जिसकी प्रविष्टियां रोकड़बही मे दर्ज नहीं की गयी हैं।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया कि रोकड़ बही मे पिछली लेखापरीक्षा एवं वर्तमान लेखापरीक्षा मे निर्देशित किए गए प्रविधानों के अंतर्गत रोकड़ बही तैयार की जाएगी। इकाई का उत्तर अमान्य है क्योंकि As per Central Government (Receipt & Payment) Rules, 1983 के अनुसार रोकड़ बही का रखरखाव किया जाना अनिवार्य हैं।

अत: कुल ₹ 51.23 करोड़ धनराशि की प्रविष्टियों का रोकड़ बही मे दर्ज न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
AIR No.33 /2015-16	-	AIR No. 33/2015-16 के भाग-दो(ब) को ले.प. प्रतिवेदन संख्या 183/18-19 में अद्यतन किया गया है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शासनादेश एवं विभागीय आदेश पत्रावली

(ii) पूर्व लेखापरीक्षा संबंधी पत्रावली

(iii) विद्यालयों मे अध्यापकों की संख्या

(iv) मासिक समीक्षा संबंधी सूचना

(v) सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना संबंधी विवरण

(vi) विद्यालयों मे कर्मचारी एवं विद्यालयों संबंधी सूचना

(vii) विद्यालयों की प्रबंध समिति संबंधी सूचना

2. **सतत् अनियमितताएः**

   रोकड़ बही का तैयार नहीं किया जाना

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री मदन सिंह रावत	मुख्य शिक्षा अधिकारी	23/04/2015 से 03/08/2015
2	श्री सुभाष चंद्र भट्ट	मुख्य शिक्षा अधिकारी	04/08/2015 से 18/05/2017
3	श्री एल.एस.दानू	जिला शिक्षा अधिकारी	19/05/2017 से 28/05/2017
4	श्री सी.एन.काला	मुख्य शिक्षा अधिकारी	29/05/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या, पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.